

7- नीति निर्माण एवं लोक सदस्यों के साथ परामर्श :-

महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु प्रदेश में महिला नीति, 2006 प्रख्यापित की गयी, जिसमें संबंधित स्वयं सेवी संस्था के प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञों का यथा आवश्यक परामर्श प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के भारत सरकार अग्रसारण से पूर्व राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है तथा निर्णय में उनके परामर्श लिए जाते हैं।